<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलाईगढ़ (छ.ग.)</u>

<u>पीठासीन अधिकारी – कु. प्रेरणा वर्मा</u>

<u>निर्णय दिनांकः</u>–12–03–2026

<u>प्रकरण क्रमांक–cri</u>/18/2025

<u>अपराध क्रमांक–</u> 11/2025

<u>आरक्षी केन्द्र</u> –बिलाईगढ़

<u>धारा</u>–296, 351(3),

115(2) बी.एन.एस.

<u>संस्थित दिनांक</u>–25–01–2025

शिकायतकर्ता	छ.ग. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र–बिलाईगढ़ जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.)
प्रतिनिधिकर्ता	––––––
	विरूद्ध
अभियुक्त	धनसाय साहू पिता रथराम साहू, उम्र–39 वर्ष निवासी–ग्राम पवनी, थाना–बिलाईगढ़, जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.)
प्रतिनिधिकर्ता	श्री ओ.के.चेलक अधिवक्ता

दा.प्र.क्र.–18/2025
निर्णय लगातार ....

घटना दिनांक	05–01–2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	05–01–2025
अभियोग–पत्र प्रस्तुति दिनांक	25–01–2025
आरोप पत्र विरचित करने की तिथि	10–03–2025
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	14–08–2025
निर्णय हेतु प्रकरण सुरक्षित रखे जाने की तिथि	09–03–2026
निर्णय दिनांक	12–03–2026
सजा आदेश की तिथि यदि कोई हो,	निरंक

<u>अभियुक्तगण का विवरण</u>

क्र.	अभियुक्त गण का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत की तिथि	अपराध का आरोप	दोषमुक्त/ दोषसिद्ध	दी गई सजा	धारा 428 द.प्र.सं. के तहत प्रकरण के लंबनकाल के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि
1.	धनसाय साहू	14.01.2025	14.01.2025	धारा 296 बी.एन.एस.	दोषसिद्ध	न्यायालय उठने तक की सजा	निरंक
				धारा 351(3) बी.एन.एस.	दोषमुक्त	निरंक	
				धारा 115(2) बी.एन.एस.	दोषसिद्ध	न्यायालय उठने तक की सजा एवं 300/–रू. अर्थदण्ड	

दा.प्र.क्र.–18/2025
निर्णय लगातार ....

–: अनुक्रमणिका:–

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
01	निर्णय का शीर्षक	4
02	अधिवक्ता की उपस्थिति	1
03	आरोप	4
04	स्वीकृत तथ्य	4
05	अभियोजन की कहानी	4-5
06	साक्षियों का विवरण	6
07	अवधारणीय प्रश्न	7
08	कारण और निष्कर्ष	8-16
09	दण्डादेश	16
10	अभिरक्षा में बिताई गई अवधि एवं मुजरा	19
11	जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण	19
12	प्रतिकर का आदेश	निरंक
13	प्रमाण–पत्र अंतर्गत धारा 428 सी.आर.पी.सी.	20
14	दण्डादेश सुपुर्दगी का वारंट (कारावास या जुर्माना)	18
15	निर्णय की प्रति	19

// नि र्ण य //
(आज दिनांक–12–03–2026 को घोषित)

---

01. अभियुक्त धनसाय साहू के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की **धारा 296, 351(3), 115(2)** के अधीन यह आरोप है कि उसने दिनाँक 05–01–2025 को समय 20:00 बजे, स्थान ग्राम–पवनी, अनिल कर्ष के होटल के सामनें, थाना–बिलाईगढ़, क्षेत्रान्तर्गत जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़, (छ.ग.) में प्रार्थिया धनेश्वरी सागर को लोक स्थान या उसके समीप रंडी वैश्या की अश्लील गाली गलौज के शब्द उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया तथा इसी घटना के अनुक्रम में उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थिया धनेश्वरी सागर को जान से मारने की धमकी देकर अभित्रास का अपराध कारित किया तथा इसी घटना के अनुक्रम में उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थिया धनेश्वरी सागर के बाल को पकड़कर हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया ।

02. प्रकरण में कोई भी उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है ।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थिया

ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनाँक 05–01–2025 को शाम करीबन 08.00 बजे वह अपनी छोटी बेटी कुमारी डिगेश्वरी सागर को अनिल कर्ष के दुकान से अण्डा खरीदने भेजी थी, जो उसे घर आकर बतायी कि उनके गांव का धनसाय साहू आपके बारे में अनाब सनाब बोल रही है, तब वह अपनी बेटी को साथ लेकर अनिल कर्ष के दुकान के पास गयी और अभियुक्त धनसाय को उसके बारे में उसकी बेटी से अनाब सनाब क्यों बोल रहे थे, कहकर बोली । तब अभियुक्त क्यों नही बोलुंगा कहते हुये रण्डी, वेश्या कहकर गंदी गंदी अश्लील गालियां देने लगा और जान से मारने की धमकी देकर बाल को पकड़कर हाथ थप्पड़ से मारपीट किया, जिससे उसे चोट आयी, कि रिपोर्ट पर प्रार्थिया का मुलाहिजा कराया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थिया एवं गवाहों के कथन लेखबद्ध किया, घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया, अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाये जाने पर अभियुक्त को विधिवत गिरफ्तार कर संपूर्ण कार्यवाही पश्चात अभियोग पत्र क्र. 17/2025 तैयार कर प्रस्तुत किया गया ।

04. अभियुक्त **धनसाय साहू** के विरूद्ध धारा 296, 351(3), 115(2) बी.एन.एस. के तहत आरोप पत्र तैयार कर अभियुक्त को अपराध की विशिष्टियाँ पढ़कर सुनाए समझाए जाने पर अभियुक्त ने जुर्म

करना अस्वीकार कर विचारण की मांग किया ।

05. अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में **साक्षी धनेश्वरी सागर (अ.सा.–01), साक्षी डिगेश्वरी सागर (अ.सा.–02), साक्षी राजकुमार कर्ष उर्फ बड़कू (अ.सा.–03), साक्षी अनिल कुमार कर्ष (अ.सा.–04), साक्षी डॉ. तरूण कुमार (अ.सा.–05), साक्षी विवेचनाधिकारी प्रधान आरक्षक चंद्रशेखर पटेल (अ.सा.–06)** का कथन कराया है । अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्र.पी.–01,** मुलाहिजा प्रतिवेदन **प्र.पी.–02,** आहता को चोट का एक्स–रे कराने हेतु नोटिस **प्र.पी.–03,** मुलाहिजा रिपोर्ट **प्र.पी.–06,** घटनास्थल का नजरी नक्शा **प्र.पी.–07,** गिरफ्तारी पत्रक **प्र.पी.–08** तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं ।

06. अभियुक्त **धनसाय साहू** का दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षण किये जाने पर, उसने स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त करते हुए, बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया जाना व्यक्त किया ।

07. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न अवधारणीय प्रश्न हैं:–

1. क्या अभियुक्त **धनसाय साहू** ने दिनाँक 05–01–2025 को समय 20:00 बजे, स्थान ग्राम–पवनी, अनिल कर्ष के होटल के सामनें, थाना–बिलाईगढ़, क्षेत्रान्तर्गत जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़, (छ.ग.), में जो कि एक लोकस्थन है, में प्रार्थिया धनेश्वरी सागर को रंडी वैश्या की अश्लील गाली गलौज का उच्चारण किया, जिससे उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2. क्या अभियुक्त **धनसाय साहू** ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थिया धनेश्वरी सागर को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

3. क्या अभियुक्त **धनसाय साहू** ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थिया धनेश्वरी सागर बाल को पकड़कर हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया ?

–:विचारणीय बिन्दु क्रं. 02 पर सकारण निष्कर्ष:–

---

08. उपरोक्त अवधारणीय प्रश्न को प्रमाणित करने का भार अभियोजन के ऊपर है । अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होगा । अभियोजन को यह प्रमाणित करना होगा कि घटना के समय अभियुक्त के द्वारा प्रार्थिया धनेश्वरी सागर को जान से मारने की धमकी दी गयी थी और धमकी दिये जाने से प्रार्थिया/आहता अत्यधिक भयभीत हुई थी और उसे संत्रास कारित हुआ था ।

09. उपरोक्त अवधारणीय प्रश्न के संबंध में प्रकरण की **आहता धनेश्वरी सागर (अ.सा.–01)** ने मुख्यपरीक्षण में अभियुक्त द्वारा उसे जान से मारने के संबंध में कोई कथन नही किया है । न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी । इसी प्रकार प्रकरण की अन्य **चक्षुदर्शी साक्षी कुमारी डिगेश्वरी सागर (अ.सा.–02)** ने भी अपने न्यायालयीन कथन में अभियुक्त द्वारा उसकी माँ को जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कोई कथन नही किया है ।

10. प्रकरण के अन्य **साक्षी बड़कू उर्फ राजकुमार (अ.सा.–03)**, **अनिल कुमार (अ.सा.–04)** ने अभियुक्त द्वारा प्रार्थिया को जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कोई कथन नही किया है एवं साक्षीगण ने पुलिस को बयान दिये जाने के संबंध में कोई कथन नही किया है ।

11. उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह दर्शित है कि यद्यपि प्रकरण की **प्रार्थिया/आहता धनेश्वरी सागर (अ.सा.–01)** एवं **साक्षी कुमारी डिगेश्वरी सागर (अ.सा.–02)** ने न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने प्रार्थिया को जान से मारने की धमकी दी थी, किंतु दोनों ही साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया है कि उक्त जान से मारने की धमकी दिये जाने के कारण प्रार्थिया/आहता अत्यधिक भयभीत हुई थी, अर्थात उसे संत्रास कारित हुआ था । इसके विपरीत **प्रार्थिया धनेश्वरी सागर (अ.सा.–01)** के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी दिये जाने से वह भयभीत हो गई थी, का तथ्य उसने पुलिस को नही बताया था एवं प्रार्थिया द्वारा भी अभियुक्त धनसाय को एक थप्पड़ मारा गया था।

12. अतः अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में **असफल** रहा है कि अभियुक्त धनसाय साहू ने दिनाँक 05–01–2025 को समय 20:00 बजे, स्थान ग्राम–पवनी, अनिल कर्ष के होटल के सामनें, थाना–बिलाईगढ़, क्षेत्रान्तर्गत जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़, (छ.ग.), में प्रार्थिया/आहता धनेश्वरी सागर को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया था ।

–:विचारणीय बिन्दु क्रं. 01, 03 पर सकारण निष्कर्ष:–

---

13. उपरोक्त दोनों अवधारणीय प्रश्न एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दोनों प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है । उपरोक्त अवधारणीय प्रश्नों को प्रमाणित करने का भार अभियोजन के ऊपर है । अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होगा । अभियोजन को यह प्रमाणित करना होगा कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनाँक को प्रार्थिया धनेश्वरी सागर के साथ लोक स्थान पर अश्लील गाली गलौज की गयी थी और उक्त गाली सुनकर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था । इसी

प्रकार अभियोजन को यह भी प्रमाणित करना होगा कि घटना के समय प्रार्थिया धनेश्वरी सागर के शरीर में अभियुक्त द्वारा मारपीट करने के कारण चोट आई थी ।

14. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में परीक्षित कराये गए **प्रार्थिया/आहता धनेश्वरी सागर (अ.सा.–01)** ने अपने न्यायालयीन कथन में यह बताया है कि वह अभियुक्त उसके मोहल्ले का है । घटना दिनाँक को समय 07.00 बजे वह अपने घर पर थी, तभी पास के दुकान में उसकी बच्ची अंडा लेने गई थी, उसे अभियुक्त धनसाय साहू गाली गलौज दे रहा था, आवाज सुनकर जब वह घर से निकली, तब धनसाय साहू ने उसे थप्पड़ मारा । जिसके बाद वह बिलाईगढ़ थाना में रिपोर्ट लिखाने गई थी । साक्षी से न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त धनसाय ने उसे रण्डी वेश्या कहकर गंदी गंदी अश्लील गालियां देने लगा । साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त द्वारा क्या–क्या गाली दिया गया था, वह नही बता सकती ।

15. प्रकरण के अन्य **साक्षी कुमारी डिगेश्वरी सागर (अ.सा.–02)** ने अपने न्यायालय कथन में अभियुक्त को मोहल्ले का होने के कारण

जानना पहचानना बताते हुये यह कथन किया है कि घटना के दिन वह घर के पास दुकान में अंडा लेने के लिये गई थी, वहां पर अभियुक्त धनसाय साहू उसकी मम्मी के बारे में अनाप शनाप बोल रहा था । तब वह अपनी मम्मी को बुलाकर लाई, जब उसकी मम्मी ने आकर पूछा कि क्यों गाली दे रहे हो, तब अभियुक्त धनसाय साहू ने बोला कि क्यो नही गाली दुंगा और उसकी मम्मी पर हाथ उठाया । फिर उसकी मम्मी घर आ गई और बिलाईगढ़ थाना चली गई । साक्षी से न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त धनसाय साहू ने उसकी मां को रण्डी वेश्या कहकर गंदी गंदी अश्लील गालियां दिया था । साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त क्या–क्या गाली दिया, वह नही बता सकती है ।

16. प्रकरण के अन्य **साक्षीगण राजकुमार कर्ष उर्फ बड़कू (अ.सा.–03), अनिल कुमार कर्ष (अ.सा.–04)** ने मुख्यपरीक्षण में अभियुक्त द्वारा प्रार्थिया/आहता को अश्लील गाली गलौज किये जाने के संबंध में कोई कथन नही किया है । दोनो साक्षीगण ने यह कथन किया है कि घटना दिनाँक को घटनास्थल दुकान में धनसाय एवं प्रार्थिया के बीच

बहस हुई थी ।

17. उपरोक्त तथ्य से यह दर्शित है कि प्रकरण की **प्रार्थिया/आहता धनेश्वरी सागर (अ.सा.–01)** एवं **चक्षुदर्शी साक्षी कुमारी डिगेश्वरी (अ.सा.–02)** से न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर दोनो ही साक्षीगण ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने प्रार्थिया/आहता को "रण्डी वैश्या" शब्द उच्चारित किया था एवं दोनों ही साक्षीगण के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उक्त गालियां गंदी गंदी एवं अश्लील थी । प्रकरण की प्रार्थिया/आहता के कथनों से एवं प्रकरण में संलंग्न घटनास्थल का नजरी नक्शा **प्र.पी.–07** के अवलोकन से यह दर्शित है कि घटनास्थल ग्राम पवनी अनिल कर्ष के होटल के सामनें थाना बिलाईगढ़ है, जो एक लोकस्थान है । इस प्रकार अभियोजन द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के समस्त आवश्यक तत्वों को संदेह से परे प्रमाणित किया है ।

18. आहता धनेश्वरी सागर को चोट आने के संबंध में **साक्षी डॉ. तरूण कुमार (अ.सा.–05)** ने अपने न्यायालयीन कथन में मुलाहिजा

रिपोर्ट **प्र.पी.–06** को प्रमाणित करते हुये यह बताया है कि दिनाँक 05–01–2025 को आहता धनेश्वरी सागर का मुलाहिजा करने पर पाया गया कि आहता के गले में दर्द था, जिसके लिये आहता को उनके द्वारा एक्स–रे कराने का सलाह दिया गया, लेकिन आहता द्वारा एक्स–रे नही कराने पर बिना एक्स–रे रिपोर्ट के अभिमत नही दिया गया । इस प्रकार उपरोक्त आई साक्ष्य से यह दर्शित है कि घटना दिनाँक समय व स्थान पर आहता धनेश्वरी सागर के गले में चोट/दर्द था ।

19. आगे यह देखा जाना होगा कि क्या उपरोक्त चोट/दर्द अभियुक्त द्वारा कारित की गई थी । तत्संबंध में **प्रार्थिया/आहता धनेश्वरी सागर (अ.सा.–01)** ने यह अखंडित साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त द्वारा उसे थप्पड़ मारा गया था । प्रकरण की अन्य **साक्षी कुमारी डिगेश्वरी सागर (अ.सा.–02)** के द्वारा भी इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि अभियुक्त द्वारा उसकी मम्मी को गाल के नीचे गर्दन में हाथ से मारा था । उक्त साक्षी भी अपने साक्ष्य में अखंडित रही है ।

20. अभियुक्त द्वारा यह बचाव लिया गया है कि प्रकरण के अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण द्वारा अभियोजन की कहानी का समर्थन नही किया

गया है । अतः अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है । तत्संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि चोटिल एवं घायल साक्षियों के साक्ष्य का अधिक महत्व होता है । हस्तगत प्रकरण में प्रार्थिया ने अभियुक्त द्वारा उसे हाथ थप्पड़ से मारने का अखंडित साक्ष्य दिया है एवं प्रकरण के चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया है कि घटनास्थल पर उभयपक्ष के बीच वाद विवाद हुआ था अर्थात घटनास्थल पर अभियुक्त उपस्थित था ।

21. अभियुक्त द्वारा यह भी बचाव लिया गया है कि **प्रार्थिया/आहता धनेश्वरी सागर (अ.सा.–01)** के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि उसने भी अभियुक्त धनसाय को एक थप्पड़ मारा था । तत्संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त प्रार्थिया के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र था, किंतु अभियुक्त द्वारा तत्संबंध में कोई कार्यवाही नही की गई एवं उक्त तथ्य का बचाव अभियुक्त इस प्रकरण में नही ले सकता है । प्रकरण के **विवेचनाधिकारी प्रधान आरक्षक चंद्रशेखर पटेल (अ.सा.–06)** के द्वारा विवेचना की कार्यवाही को प्रमाणित किया है ।

22. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में **सफल** रहा है कि अभियुक्त धनसाय साहू ने दिनाँक 05–01–2025 को समय 20:00 बजे, स्थान ग्राम–पवनी, अनिल कर्ष के होटल के सामनें, थाना–बिलाईगढ़, क्षेत्रान्तर्गत जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़, (छ.ग.) में प्रार्थिया धनेश्वरी सागर को लोक स्थान या उसके समीप रंडी वैश्या की अश्लील गाली गलौज के शब्द उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया तथा इसी घटना के अनुक्रम में उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थिया/आहता धनेश्वरी सागर के बाल को पकड़कर हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया ।

23. अस्तु अभियुक्त **धनसाय साहू** को **भारतीय न्याय संहिता, 2023** की **धारा 351(3)** के अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है, किन्तु **भारतीय न्याय संहिता,** 2023 की **धारा 296, 115(2)** के अपराध के आरोप में **दोषसिद्ध** किया जाता है ।

24. अब यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त **धनसाय साहू**

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ पाने का अधिकारी है? अभियुक्त द्वारा जिस प्रकार प्रार्थिया/आहता धनेश्वरी सागर के बाल को पकड़कर हाथ थप्पड़ से मारपीट कर चोट पहुंचाकर, स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गई थी । उक्त अपराध की प्रकृति को देखते हुये अभियुक्त **धनसाय साहू** को **आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।**

25. दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया गया ।

PRERANA VERMA
Digitally signed by PRERANA VERMA
Date: 2026.03.16 18:39:10 +0530

(कु. प्रेरणा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बिलाईगढ़ (छ.ग.)

पुनश्चः–

26. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया ।

27. अभियुक्त **धनसाय साहू** के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है । अतः अभियुक्त को न्युनतम दण्ड

से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया है ।

28. दंड के प्रश्न पर विचार किया गया । अभियुक्त **धनसाय साहू** के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि प्रमाणित नहीं हैं, संभवतः यह उनका प्रथम अपराध हैं । अभियुक्त **धनसाय साहू** के द्वारा आहता धनेश्वरी सागर के साथ विवाद को लेकर मारपीट की गई थी । अतः प्रकरण की तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को निम्नलिखित सजा दी जाती हैं:–

क्र.	अभियुक्त गण का नाम	दोषसिद्ध धारा	कारावास की अवधि	कारा वास की प्रकृति	अर्थदंड की राशि	अर्थदंड अदा न किये जाने पर अतिरिक्त कारावास
1.	धनसाय साहू	भा.न्या.सं. की धारा 296	न्यायालय उठने तक की सजा	–	–	–
		भा.न्या.सं. की धारा 115(2)	न्यायालय उठने तक की सजा	–	300/– रू.	2 दिवस का साधारण कारावास

29. अभियुक्त **धनसाय साहू** द्वारा धारा 437(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निर्णय दिनाँक से 6 माह तक विस्तृत रहेंगे ।

30. **अभियुक्त धनसाय साहू** के द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि **निरंक** है । इस संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के प्रावधान के तहत पृथक से तालिका निर्मित की गई है जो कि निर्णय का भाग मानी जावेगी।

31. धारा 357 क दं.प्र.सं. के अंतर्गत आहता धनेश्वरी सागर को उचित प्रतिकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ द्वारा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में दिलायी जाने की अनुशंसा की जाती है । अपील होने के दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे ।

32. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नही है ।

33. अभियोजन एवं अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे ।

34. प्रकरण समाप्त । प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत समयावधि के भीतर अभिलेखागार में जमा किया जावे ।

निर्णय दिनांकित एवं हस्ताक्षरित घोषित किया गया ।

PRERANA VERMA

Digitally signed by PRERANA VERMA
Date: 2026.03.16 18:39:18 +0530

मेरे निर्देशन में टंकित कर किया गया ।

PRERANA VERMA

Digitally signed by PRERANA VERMA
Date: 2026.03.16 18:39:21 +0530

धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समायोजन का प्रमाण पत्र

अभियुक्त का नाम	**धनसाय साहू**
पुलिस अभिरक्षा में निरोध अवधि (अ)	
अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक	14–01–2025
न्यायालय में पेश करने की तिथि	–
पुलिस अभिरक्षा में निरोध अवधि	**निरंक**
न्यायिक अभिरक्षा में निरोध अवधि (ब)	
न्यायालय में पेश करने की तिथि	–
जमानत पर रिहा करने की तिथि	–
न्यायिक अभिरक्षा में निरोध अवधि	–
अभियुक्त के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी कुल अवधि, जिसका समायोजन किया जाना हैः (अ) + (ब)	
निरंक	

PRERANA VERMA

Digitally signed by PRERANA VERMA
Date: 2026.03.16 18:39:27 +0530

(कु. प्रेरणा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बिलाईगढ़ (छ.ग.)

दा.प्र.क्र.–18/2025
निर्णय लगातार ....

धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समायोजन का प्रमाण पत्र

अभियुक्त का नाम	**मनराखन प्रजापति**
पुलिस अभिरक्षा में निरोध अवधि (अ)	
अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक	10–09–2024
न्यायालय में पेश करने की तिथि	–
पुलिस अभिरक्षा में निरोध अवधि	**निरंक**
न्यायिक अभिरक्षा में निरोध अवधि (ब)	
न्यायालय में पेश करने की तिथि	–
जमानत पर रिहा करने की तिथि	–
न्यायिक अभिरक्षा में निरोध अवधि	**निरंक**
अभियुक्त के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी कुल अवधि, जिसका समायोजन किया जाना हैः (अ) + (ब)	
निरंक	

(कु. प्रेरणा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बिलाईगढ़ (छ.ग.)